

MD Tint 01-06-21

संख्या-1408 /III(2)/21-60(एम०एल०ए०)2017TC

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में  
  
CE (P)  
मेरी  
आप

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाकूंगी के अन्तर्गत 26 निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्ष.का., लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा सलंग विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई 46.81 किमी.+01 सेतु एवं लागत रु. 1126.02 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु. 1007.57 लाख (रुपये दस करोड़ सात लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्रति कार्य रु. 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) अर्थात् 26 कार्यों हेतु रु. 2.60 लाख (रुपये दो लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अच्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित गाइलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) गति नियमानुसार कार्य को जितना की स्वीकृत नार्म है, उसी मद में किया जाय।

(904) 550-II (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

CAO-II  
02/06/21  
CSO-II


(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्यौरमेण्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत भद्र (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्कक निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 139/XXVII(2)/2021 दिनांक 27 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
सलंगनक-उक्तानुसार।

  
भवदीय,  
(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- /III(2)/21-60(एम०एल०ए०)2021TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/रामनगर।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,


  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत गैबुआ फीचा में मंयक तिवारी के घर तक मार्ग में पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.500	20.07	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत किशनपुर कोटली में हरीश भट्ट एवं कमल पाण्डे के घर तक मार्ग में पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	0.600	7.98	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत हिम्मतपुर गैबुआ मार्ग में पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	2.00	26.65	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत मूसाबंगर तुषानाबाड पतलिया मोटर मार्ग का पी०सी० द्वारा सुधारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.25	44.10	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत गिन्ती गांव से बहेड़ीचौड़ मोटर मार्ग में पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.650	7.10	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत दोहनिया से देवीरामपुर मार्ग में पी०सी० द्वारा सतह सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	0.800	14.59	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत बैलपड़ाव में शिव मंदिर से मदन मोअन पाण्डे के घर तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.400	19.74	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत मूसाबंगर केशवबंगर मोटर मार्ग का पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.300	15.74	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत बैलपड़ाव एवं धमोला के आन्तरिक सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.910	49.98	0.10
10	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालादुंगी के अन्तर्गत ग्राम पतलिया से आंतलाकोट के पास तक पर्याप्त सतह सुधार का कार्य।	36 mtr.	9.36	0.10

11	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत कमोला भीमपुरी सम्पर्क मार्ग का एस10डी10बी10सी10 द्वारा सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	2.750	25.21	0.10
12	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत चूनाखान—हंसरामपुर से मदनवैल मार्ग में पी10सी10 द्वारा सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	1.750	23.38	0.10
13	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत चूनाखान से मदनवैल पानी की टंकी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	2.075	150.82	0.10
14	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत गिन्ती गांव से पीपलचौड़ मार्ग में पी10सी10 द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	2.700	30.90	0.10
15	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत गिन्ती गांव से रामदत्त तक मोटर मार्ग में पी10सी10 द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	11.37	0.10
16	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत मानपुर पश्चिम से प्रीतमपुरी सड़क एवं जीतपुर नेगी प्रेमविहार में मार्ग का पुर्ण निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.250	41.22	0.10
17	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत गुलजारपुर बंकी में भोपाल राम के घर से भोपाल टम्टा के घर तक मार्ग का पी10सी10 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	1.250	10.20	0.10
18	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत ग्राम कालादुंगी के चकलुवा—कालादुंगी देवीपुरा—देवलचौड़ सम्पर्क मार्ग से विजयपुर—हरिपुर तक मार्ग का पी10सी10 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	3.00	31.52	0.10
19	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत ग्राम विदरामपुर में शीशम गेट, रमेश शर्मा के घर से कुन्दन देउपा के घर तक मार्ग का पी10सी10 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	3.00	28.84	0.10
20	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत ग्राम कालादुंगी के चकलुवा से खड़कपुर तक मार्ग का पी10सी10 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	3.00	23.49	0.10
21	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत हल्दूपोखरा दरम्बाल, देवलचौड़ गांवों के बीच मार्ग का पी10सी10 द्वारा सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आणन)	1.56	56.36	0.10

22	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत हरिपुर लालमणि नवाड़ में हजय हाट कालिका शोरूम में गुप्ता जनरल स्टोर एवं हरिपुर लालमणी नवाड़ में पूर्वी एवं पश्चिम धड़ा तथा चांदनी चौक घुड़दौड़ के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आणन)	3.100	63.13	0.10
23	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत देवलचौड़ खाम में रघुनाथ पुरम, रामपुरम रोड़ में सिद्धार्थ कालोनी, देवलचौड़ बन्दोबस्ती में जे०बी० एनक्लेव तथा चांदनी चौक सांगुड़ी में नारायण दत्त बेलवाल के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आणन)	2.400	58.38	0.10
24	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत देवलचौड़ बन्दोबस्ती, पंचायत घर तल्ला फूलचौड़ पंचायत घर एवं देवलचौड़ बन्दोबस्ती कालीपुर एवं हल्दूपोखरा नायक आदि ग्रामों के मार्गों का निर्माण कार्य। (विस्तृत आणन)	2.105	75.71	0.10
25	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत हरीनारायण कालोनी, आदर्श कालोनी, किशनपुर घुड़दौड़, हिमतपुर बैजनाथ एवं फूलचौड़ आदि मार्गों का निर्माण कार्य। (विस्तृत आणन)	2.185	81.00	0.10
26	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र—कालादुंगी के अन्तर्गत पाण्डे नवाड़ गुसाईपुर, आनन्दपुर के धनपुरी हल्दूपोखरा, दरम्वाल, मानपुर पश्चिम आदि ग्रामों के मार्गों का निर्माण कार्य। (विस्तृत आणन)	2.275	80.73	0.10
	योग:-	46.81 + 1 Bridge	1007.57	2.60

(कुल रु० दो लाख साठ हजार मात्र)



(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव



**बजट आकंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )**  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आरंटन पत्र संख्या -1408/III(2)/21-60(MLA)17TC  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220072  
आवंटन पत्र दिनांक-27-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

#### 04-District and other Roads

337-सडक निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02 से स्थानान्तरित )

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1160000	260000	0	1420000
योग	1160000	260000	0	1420000
Total G	1160000	260000	0	1420000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,60,000 (Rupees Two Lacs Sixty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



**Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431**

कार्यालय प्रमुख अधियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
“नियोजन-” उत्तराखण्ड देहरादून

**Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand**  
Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd> E-mail-[pwd@ua.nic.in](mailto:pwd@ua.nic.in)

E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक- ५८६ /२० यातां'क' /२०२१

दिनांक-०६ .06.2021

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

६. अधिकारीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी—

  - मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
  - अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
  - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी / रामनगर।
  - अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
  - कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

अर० सी० एस० पांडा  
कर्तव्य प्रस्तुतिका अधिकारी  
१५/१२